APAAR –ID बनाने के लिए छात्र के पिता/माता/ अभिभावक की सहमति

मै (छात्र का नाम) के (पिता/माता) के रूप में, मैं अपनी पहचान प्रमाण के रूप में (Adhaar /Pan) और पहचान प्रमाण संख्या _______________ के साथ स्वेच्छा से अपना नाम देता/देती हूँ।

मैं अपने बच्चे का आधार नंबर और UIDAI द्वारा जारी जनसांख्यिकीय जानकारी शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए सहमति देता हूं, जिसका एकमात्र उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए मेरे बच्चे का APAAR –ID बनाना और डिजिलॉकर खाता खोलना है।

मैं समझता हूँ कि मेरी APAAR –ID का उपयोग सीमित उद्देश्यों के लिए और उसे साझा (share) करने के लिए किया जा सकता है जैसा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर शैक्षिक और संबंधित गतिविधियों के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। इसके अलावा मुझे यह भी पता है कि मेरी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (नाम, पता, आयु, जन्म तिथि, लिंग और फोटो) विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों जैसे कि UDISE डेटाबेस, छात्रवृत्ति, शैक्षणिक रिकॉर्ड के रखरखाव, शैक्षिक संस्थानों और भर्ती एजेंसियों जैसे अन्य हितधारकों में लगी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जा सकती है।

मैं शिक्षा मंत्रालय को उपरोक्त उद्देश्य के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार UIDAI के साथ आधार आधारित प्रमाणीकरण करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि UIDAI सफल प्रमाणीकरण के बाद मेरे E-KYC विवरण या "हाँ" का जवाब शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करेगा।

मैं समझता/समझती हूं कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और कानून द्वारा अपेक्षित होने को छोड़कर किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताई जाएगी।

मैं समझता/समझती हूं कि मैं किसी भी समय सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता हूं और मेरी सहमति वापस लेने पर, मेरी जानकारी साझा होना बंद हो जायेगी, हालांकि, पहले से संसाधित किया गया कोई भी व्यक्तिगत डेटा सहमति की ऐसी वापसी से अप्रभावित रहेगा।

सहमति का स्थान : ___________ सहमति की तिथि: _______________

स्कूल प्रमुख की सहमति

मै __________ विद्यालय के प्रमुख या किसी प्राधिकृत शिक्षक/कर्मचारी के रूप में घोषणा करता हूँ कि (नाम) के पिता/माता/ अभिभावक ने APAAR ID बनाने, DIGILOCKER खाता खोलने और पहचान सत्यापन UDISE प्लस के लिए आधार प्रदान करने हेतु सहमति दे दी है।

अनुबंध- II

छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए APAAR –ID का उपयोग

APAAR –ID अद्वितीय प्रकृति की होगी और एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी के रूप में काम करेगी, जिससे सभी प्रयोजनों के लिए छात्रों को पहचान मिलेगी और छात्रों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल, राज्य आदि में स्थानांतरित करना आसान होगा।

✓ इससे छात्रों को अपनी स्वयं को सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी।

✓ यह विशिष्ट आईडी आजीवन रहेगी और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंचने में भी मदद करेगी।

✓APAAR –ID छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि पर नज़र रखने के लिए उपयोगी होगी।

✓APAAR –ID ड्रॉपआउट छात्रों की निगरानी और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए उपयोगी होगी।

✓APAAR –ID डिजिलॉकर पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंचने का प्रवेश द्वार होगा जो छात्रों की सभी उपलब्धियां जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, सीखने के परिणामों के अलावा छात्रों की अन्य उपलब्धियां चाहे वह ओलंपियाड, खेल, कौशल प्रशिक्षण या कोई भी क्षेत्र हो, सभी डेटा को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा।

✓ छात्र भविष्य में अपनी उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्य के लिए क्रेडिट स्कोर का उपयोग कर सकते हैं।

✓APAAR –ID का प्रयोगकई उपयोगी मामलों के लिए भी किया जाएगा, जैसे NTA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, छात्रवृत्ति संवितरण, सरकारी लाभ का हस्तांतरण, पुरस्कार जारी करना, छात्रों, शिक्षकों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए मान्यता आदि।